FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (राज०) मुकाम [illegible]

[illegible] व० बनाम श्री [illegible]

किस्म मुकदमा 111/128 Rev Act नं. 98/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10·3·21	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री छगनाराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111/128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04·05·21 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (राज०) [illegible]	
04/05/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील तामील मुताबिक / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 29/06/2021 को पेश हो। [signature]	
29/06/21	प्रार्थी वकील उपस्थित / [illegible] के नोटिस तामील [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 26/10/2021 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2022 / 153[illegible]
प्रार्थी
1. मोटाराम पुत्र नारा[illegible]
जाति जाट, निवा[illegible]
पटवार मण्ड[illegible]
तहसील[illegible]

26/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुप[स्थित]। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 04/01/2022 को पेश हो।

04/01/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सटे सटे आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेडें व कोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमायशी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमायशी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमायशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या [illegible] किसी भी भू-अभिलेख निरी[क्षक] [illegible] खेतों की पत्थरी पैमायशी मौके [illegible] करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त हो[ने पर] [illegible] शामिल [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1580

दिनांकः– 04/01/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मोटाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 11 जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 98 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – आहोणी बेनिवालों की ढाणी, पटवार मण्डल –माधासर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 301, 750/303 रकबा 0.1133, 5.7601 हैक्टयर एवं मौजा– दर्जियों की ढाणी पटवार मण्डल – माधासर तहसील –बायतु जिला –बाड़मेर के खेत खसरा नं. 61 रकबा 2.4513 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया। जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांकः– 04/01/2022

क्रमांक/वाद /2022/ 1581-85

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र नारणाराम
4. विप्रार्थी श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 11
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO)